## एशियाई विकास बैंक

- यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
- कंपनी एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 फील्ड ऑफिस रखती है।
- बैंक एशिया और प्रशांत (UNESCAP) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यों को स्वीकार करता है।
- इसके भारत, चीन, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान सहित 68 सदस्य हैं।
- ADB को विश्व बैंक पर बारीकी से तैयार किया गया था, और इसमें एक समान भारित मतदान प्रणाली है, जहां सदस्यों की पूंजी सदस्यता के अनुपात में वोट वितरित किए जाते हैं।
- ADB संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है।
- ADB निजी क्षेत्र की कंपनियों को ऋण, इक्विटी और मेजेनाइन वित्त के रूप में उन परियोजनाओं के लिए जिनके पास वित्तीय रिटर्न की वित्तीय दर से परे स्पष्ट सामाजिक लाभ हैं, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- ADB दुनिया के पूंजी बाजारों पर बांड जारी करके अपनी फंडिंग प्राप्त करता है। यह सदस्य देशों के योगदान पर निर्भर करता है, उधार परिचालन से कमाई और ऋण की अदायगी को बनाए रखता है।
- भारत एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार और ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
- 'विकासशील एशिया' 45 देशों के एक समूह को संदर्भित करता है जो एडीबी के सदस्य हैं।

## विचार करें!

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)

## इंदिरा साहनी अधिनिर्णय

- इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ (जिसे मंडल अधिनिर्णय भी कहा जाता है) एक भारतीय जनहित याचिका का मामला था।
- 1992 इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ निर्णय ने राज्य की शक्तियों की सीमा निर्धारित की: इसने 50 प्रतिशत कोटा की सीमा को बरकरार रखा, "सामाजिक पिछड़ेपन" की अवधारणा पर जोर दिया, और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए।
- नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने गुणात्मक बहिष्कार की अवधारणा को भी स्थापित किया, जैसे "क्रीमी लेयर"।
- क्रीमी लेयर केवल अन्य पिछड़ी जातियों के मामले में लागू होती है यह एससी या एसटी जैसे अन्य समूहों पर लागू नहीं होती है।
- अनुच्छेद 16 (4) में नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है न कि केवल आर्थिक आधार पर।
- अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है। यह वर्गीकरण का एक उदाहरण है। आरक्षण अनुच्छेद 16 (1) के तहत किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े वर्ग, अनुच्छेद 15 (4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के समान नहीं थे।
- क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से बाहर रखा जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 16 (4) पिछड़े वर्गों को पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।
- एक पिछड़े वर्ग के नागरिक की पहचान केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है।
- आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- आरक्षण 'उत्कृष्ट आदेश' द्वारा किया जा सकता है।

## मंडल आयोग (Mandal Commission)

- दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के मापदंड निर्धारित करता है।

- मंडल की रिपोर्ट में उस समय की 52 प्रतिशत आबादी को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) के रूप में पहचाना गया था और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से मौजूद 225 प्रतिशत आरक्षण के अलावा SEBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी।

**क्या आप जानते है?**

- 102 वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 342 A को जोड़ा गया जिसमें केंद्र को किसी भी वर्ग या समुदाय को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में अधिसूचित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- केवल केंद्र को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की पहचान करने और आरक्षण लाभ का दावा करने के लिए उन्हें केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार है। राज्य केवल सुझाव दे सकते हैं।